

पत्रांक -3/एम0-13/2021सांप्र०.4180/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 17-3-2022

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प झापांक-7446 दिनांक-23.07.2021 के आलोक में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प झापांक-7446 दिनांक-23.07.2021 द्वारा दिनांक-01.04.2020 से 31.07.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-4(iv)(ख) में राजपत्रित कर्मियों के संविदा नियोजन पर विचार हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में समिति गठित है। उक्त समिति द्वारा दिनांक-11.01.2022 को आहूत बैठक की कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) की उप कंडिका-(iii) में दिया गया निदेश निम्नवत् है-

“यह निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7446 दिनांक-23.07.2021 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों/ पदाधिकारियों के संविदा पर नियोजन के पूर्व सभी विभागों/संवर्गों द्वारा पदाधिकारियों/कर्मियों के संविदा नियोजन हेतु गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्ति के साथ-साथ इनके गत पाँच वर्षों के कार्यों की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन

नियोजन हेतु गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिनपर विचारोपरान्त समिति द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा संविदा पर नियोजन की अनुशंसा की जाएगी।”

3. अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7446 दिनांक-23.07.2021 के प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन पर विचार हेतु संबंधित समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के पूर्व उपर्युक्त निदेश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही उक्त निदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

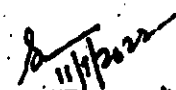
दिनांक 11.01.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7446 दिनांक 23.07.2021 के आलोक में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.07.2021 तक सेवानिवृत्त कुल 29 अभियोजन पदाधिकारियों के संविदा नियोजन हेतु बैठक की कार्यवाही।

1. श्री चैतन्य प्रसाद
अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।
2. श्री एस० सिद्धार्थ
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
सचिव
गृह विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री मिनेन्द्र कुमार
सचिव
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बिहार, पटना।
(अनु०जाति/अनु०जा०जा० के प्रतिनिधि)
5. श्री गुफरान अहमद
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

समिति के समक्ष दिनांक 01.04.2020 से 31.07.2021 तक की अवधि में बिहार अभियोजन सेवा के कुल 29 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7446 दिनांक 23.07.2021 के आलोक में संविदा नियोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

- (i) संविदा पर नियोजन करने हेतु प्रस्तावित 29 सेवानिवृत्त अभियोजन पदाधिकारियों के गत पाँच वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा। समिति मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसपर आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यही प्रक्रिया अब से अन्य विभागों पर भी लागू होगी।
- (ii) संविदा पर नियोजनोपरान्त निदेशालय नियोजित पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह पर करेगी। उक्त नियम अन्य विभागों में हो रहे संविदागत नियोजन पर भी लागू होगा।

- (iii) यह भी निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7448 दिनांक 23.07.2021 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के संविदा पर नियोजन के पूर्व सभी विभागों/संवर्गों द्वारा पदाधिकारियों/कर्मियों के संविदा नियोजन हेतु गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति के साथ-साथ इनके गत पाँच वर्षों के कार्यों की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन नियोजन हेतु गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसपर विचारोपरान्त समिति द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा संविदा पर नियोजन की अनुशंसा की जाएगी।

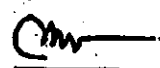

(गुरुप्रसाद अहिर)
उप सचिव,
प्रतिनिधि
सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार,
पटना।


(जयकान्त शर्मा)
सचिव
बिहार राज्य
आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण
बिहार, पटना।


(जयकान्त श्रीवास्तव)
सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।


(रमेश मिश्रा)
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
बिहार, पटना।


(रमेश मिश्रा)
अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।


(अमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।